भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1079

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

बौद्धों के लिए विवाह और उत्तराधिकार अधिनियम

1079. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बौद्धों द्वारा अपने लिए विवाह और उत्तराधिकार अधिनियम के लिए लम्बे समय से की जा रही विशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विचारार्थ/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2)(ख) बौद्ध धर्म को एक पृथक धर्म का दर्जा प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नव-बौद्ध समुदाय, विशेषकर हिन्दू पर्सनल कानूनों के अंतर्गत उनके वर्गीकरण सम्बन्धी चिंताओं और विवाह तथा उत्तराधिकार के लिए विशिष्ट विधिक उपबंधों के अभाव में उनका समाधान करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) क्या सरकार नव बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म को एक पृथक धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) में संशोधन करने के संभावित लाभों और निहितार्थों के संबंध में अपना दृष्टिकोण साझा कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है??

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): बौद्ध पर्सनल लॉ के संबंध में बौद्ध समुदाय से एक अभ्यावेदन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को प्राप्त हुआ और इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

इसके अलावा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने सूचित किया है कि दशकीय जनसंख्या जनगणना में, धर्म के अनुसार जनसंख्या की गणना और प्रकाशन किया जाता है। बौद्ध को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रकाशित किया गया है जिसे हिंदू के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। 2011 की जनगणना में नव बौद्ध को बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

******